

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 751 सन 2019/ऑन लाईन नम्बर:-2019/01035

अनवान :-

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूरामल पुत्र सांवलाराम जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. काशीराम पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. साहबराम पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. पालाराम पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. विमलादेवी पत्नी भागीरथ जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री भागीरथ जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. सन्जू पुत्री भागीरथ जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. पवन कुमार पुत्र भागीरथ जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. विमला पुत्री भूरामल जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
11. कलावती पुत्री भूरामल जाति ब्रह्मण्य निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 171/44 की कुल 32.5232 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सांवलाराम पुत्र वृजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सांवलाराम पुत्र वृजाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सांवलाराम पुत्र वृजाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्रीया एवं मृतक पुत्र भागीरथ के वारिस पुत्र/पुत्रीया व पत्नी का बरावर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बरावर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बरावर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिव के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सांवलाराम पुत्र वृजाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेशोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 171/44 की कुल 32.5232 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सांवलाराम पुत्र वृजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सांवलाराम पुत्र वृजाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सांवलाराम पुत्र वृजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्रीया एवं मृतक पुत्र भागीरथ के वारिस पुत्र/पुत्रीया व पत्नी का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 भुरामल पुत्र सांवलराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वर्तमान वाद में पक्षकार है जो प्रतिवादी संख्या 1 के जायज व कानुनी वारिसान है जो भुरामल के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है अतः वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया


उपस्थित अधिवक्ता जीवे।
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 171/44 की कुल 32.5232 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


भूराराम पुत्र सांवलराम का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है वादी ने अपने पिता भूराराम पुत्र सांवलराम से पैतृक सम्पति होने के कारण अपने हकों की धोषणा का वाद पेश किया गया था जिसमें भूरामल एव उसके समस्त वारिस पक्षकार थे अर्थात् मृतक भूरामल के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है अर्थात् भूरामल के नाम से दर्ज भूमि भूरामल के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के मध्य वाद भूमि के हक हिस्सा के लिये कोई विवाद नहीं है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 171/44 की कुल 32.5232 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. भूरामल पुत्र सांवलाराम जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. काशीराम पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. साहबराय पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. पालाराम पुत्र भूरामल जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. विमलादेवी पत्नी भागीरथ जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री भागीरथ जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. सन्जू पुत्री भागीरथ जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. पवन कुमार पुत्र भागीरथ जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. विमला पुत्री भूरामल जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
11. कलावती पुत्री भूरामल जाति ब्रह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1958

राजस्व वाद संख्या 751 सन 2019 निर्णय दिनांक- 16/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 171/44 की कुल 32.5232 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)